उत्तराखण्ड शासन
खेलकूद अनुभाग
संख्या– /VI/2016–1(14)/2006
देहरादून : दिनांक : 6 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ओर इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुये इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तराखण्ड खेल विभाग अधिनस्थ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये **"उत्तराखण्ड खेल विभाग अधिनस्थ सेवा नियमावली, 2016"** को बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

संख्या– / VI/2016–1(14)/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, अधिसूचना के हिन्दी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड–ख परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की **200 प्रतियां खेलकूद विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून** को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

संख्या–767/ VI/2016–1(14)/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, सूचना निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\August 2015\misc folder\Letter.doc.doc

उत्तराखण्ड शासन
खेलकूद अनुभाग
संख्या–767/VI/2016–1(14)2006
देहरादून : दिनांक 6 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड खेल विभाग अधीनस्थ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड खेल विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2016

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1\. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खेल विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2\. उत्तराखण्ड खेल विभाग अधीनस्थ सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह **"ग"** के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएं

3.जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली मे :–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से खेल निदेशक अभिप्रेत है,

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाता हो,

(ग) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है,

(घ) "आयोग" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है,

(ङ.) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है,

(छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,

(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड खेल विभाग अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है,

(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो,

(ञ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है,

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग **4.(1)** सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाए, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट–'क' में दी गयी है,

परन्तु

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है, या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर पाने का हकदार न होगा या

(दो) राज्यपाल समय–समय ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जो वह उचित समझे।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत **5.** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगी–

(1) सहायक प्रशिक्षक	सीधी भर्ती द्वारा
(2) उप क्रीड़ा अधिकारी	(1) 50 प्रतिशत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (2) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक प्रशिक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को जो पद के लिए नियम 8 में उपबन्धित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने की अनुमति दे सकेगी। ऐसे मामले वर्तमान सरकारी नियमों/आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें।

आरक्षण **6.** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता **7.** सेवा में किसी पद के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या,

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश–केनिया, उगान्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो,

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

शैक्षिक अर्हताएं 8. पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए।

1. उप क्रीड़ा अधिकारी

अनिवार्य

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

(2) एक खिलाड़ी के रूप में अर्न्तविश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप मे प्रतिभाग किया हो।

अथवा

उच्च श्रेणी (राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय) खेल प्रतियोगिताओ में प्रतिभाग किया हो।

(3) राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला या उससे संबद्ध अन्य एन.आई.एस. संस्थान से प्रशिक्षण (कोचिंग) में डिप्लोमा या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शरीरिक शिक्षा संस्थान, (डीम्ड यूनिवर्सिटी), ग्वालियर द्वारा प्रदत्त खेल कोचिंग में स्नात्तकोत्तर (पी0जी0) डिप्लोमा।

(4) प्रशिक्षण (कोचिंग) का दो वर्ष का अनुभव।

(5) राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में अभ्यर्थी का पंजीकरण होना अनिवार्य है।

अधिमानी

(1) ब्लॉक/जिला/राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का 01 वर्ष का अनुभव।

(2) शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।

2. सहायक प्रशिक्षक

अनिवार्य

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

(2) एन.आई.एस. पटियाला या उससे संबद्ध अन्य एन.आई.एस. संस्थान से प्रशिक्षण (कोचिंग) में डिप्लोमा या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शरीरिक शिक्षा संस्थान, (डीम्ड यूनिवर्सिटी), ग्वालियर द्वारा प्रदत्त खेल कोचिंग में स्नात्तकोत्तर (पी0जी0) डिप्लोमा।

(3) एक खिलाड़ी के रूप में न्यूनतम अर्न्तविश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में प्रतिभाग किया हो या अखिल भारतीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं में राज्य के विद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया हो।

अथवा

उच्च श्रेणी (राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय) खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया हो।

(4) राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में अभ्यर्थी का पंजीकरण होना अनिवार्य है।

अधिमानी

(1) शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र

(2) शासकीय विभागों के अन्तर्गत कार्यरत् कॉन्ट्रैक्ट/संविदा प्रशिक्षकों को प्रत्येक वर्ष 10 माह की सेवा हेतु 02 अंक का वेटेज दिया जायेगा, जोकि अधिकतम 20 अंक तक होगा।

परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में एक खिलाड़ी के रूप में भाग लिया हो, उनकी शैक्षिक योग्यता में इन्टरमीडिएट तक की छूट दी जा सकती है।

अधिमानी अर्हताऐं

9. अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडिट कोर का **"बी"** एवं **"सी"** प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के अभ्यर्थी की आयु, उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिस वर्ष सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जाय, 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिदिष्ट की जाए।

परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो पहले से सरकारी सेवा में हो, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी उसने सरकारी सेवा की हो।

परन्तु खेल विभाग के अन्तर्गत कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जायेगी।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपर्युक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति **12.** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता **13.** किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे–

"सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II, भाग III के अध्याय III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है" :

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण **14.** नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किये जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा, आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना आयोग को सूचित करेगा

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. **(1)** सीधी भर्ती के लिए चयन के लिए विचारार्थ आवेदन पत्र आयोग द्वारा, विहित प्रपत्र में, जो भुगतान किये जाने पर, यदि कोई हो, आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकते हैं, आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये साक्षात्कार के लिए उतने अभ्यर्थियों को, जो अपेक्षित अर्हताऐं पूरी करते हो, बुलायेगा, जितने वह उचित समझे।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता–क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी। आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन "लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

संयुक्त चयन सूची **17.** यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियों सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाए तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम संबद्ध सूचियों से बारी–बारी से इस रीति से लिए जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति का होगा।

भाग छः–नियुक्ति, परवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति **18.** **(1)** उप नियम (2) के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15, 16 या 17 यथास्थिति के अधीन बनायी गयी सूचियों में हो, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाए।

(3) यदि किसी चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर या उस क्रम में यथास्थिति जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तयों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी और जहाँ पद आयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, वहाँ उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 5(क) के प्राविधान लागू होंगे।

परिवीक्षा **19** **(1)** सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्व रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा,

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे,अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिदिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढाई जाय। परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या संतोष प्रदान करने में

अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर ,यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

(4)उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवाएं समाप्त की जाय, वह किसी प्रतिकर का हकादार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप से की गयी निरंतर सेवा को परीवीक्षा अवधि की संगणना करने के परियोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थाईकरण 20. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय,और

(ग)नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थाई किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता 21. **(1)** किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते है तो उनकी ज्येष्ठता उस कम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में कमांकित किये जाते हैं,

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इस आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा,

परन्तु यह और कि यदि चयन के पश्चात किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं तो ज्येष्ठता वह होगी जो नियम 18 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय,

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम–20 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चकीय कम में

इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे :

परन्तु उपबन्ध यह है कि–

(1) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जाती है, वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में जिसमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हो, नीचे कर दी जायेंगी।

(2) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदो के विरूद्ध नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जाती है, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, ब्लकि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(3) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरुद्ध की गयी है।

भाग सात–वेतन आदि

वेतनमान 22. **(1)** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थाई आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत वेतनमान परिशिष्ट "क" में दिये गये है।

परिवीक्षावधि में वेतन 23. **(1)** मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समय मान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा–अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाए तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा–अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति को जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा–अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकार सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24. सेवा या पद के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25. ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

26. यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्ते विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रर्वतन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझें,

परन्तु यह कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहाँ नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करनै से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

व्यावृति

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट "क"

(नियम 4 (2) और 22 (2) देखिये)

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान	ग्रेडवेतन	पदों की संख्या
1	उप क्रीड़ा अधिकारी	9300—34800	4200	27
2	सहायक प्रशिक्षक	5200—20200	2800	60

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।